महत्वपूर्ण एवं खास

अज्ञात हत्यारो ने एक ग्रामीण की धारदार हथियार से की हत्या

बीजापुर (आरएनएस)। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम तोयनार के बड़ेपारा निवासी एक ग्रामीण चमरू कुड़ियम की बीती रात्रि में अज्ञात हत्यारो ने धारदार हथियार से हत्या कर शव को घर से थोड़ी दूर पर फेंक दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक ग्रामीण चमरू कुड़ियम रात में अपने घर में सो रहा था, अज्ञात हत्यारों के द्वारा धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया। पुलिस हत्या की सूचना के बाद मौके पर पंहुचकर मामले की जांच करते हुए शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव को बीजापुर जिला अस्पताल भेज दिया है। शव के आसपास नक्सली पर्चा नहीं मिलने से पुलिस नक्सली हत्या के साथ ही अन्य कारणों को लेकर जांच कर रही है।

31 अक्टूबर तक कोटमसर और कैलाश गुफा पर्यटकों के लिए रहेगा बंद

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कार्यालय निदेशक से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्षा ऋतु के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा हेतु कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अन्तर्गत आने वाले गुफा स्थल (कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा एवं अन्य सभी गुफा स्थल) को 15 जून 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक पर्यटन प्रयोजन हेतु प्रतिबंधित किया गया है। जबकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अन्तर्गत आने वाले तीरथगढ़ जलप्रपात को पर्यटन हेतु खुला रहेगा।

मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिजनों के नाम गृहमंत्री ने भेजा संदेश

बीजापुर (आरएनएस)। जिले के थाना तर्रेम क्षेत्रान्तर्गत 03 अप्रेल 2021 को टेकुलगुड़ियम में हुये मुठभेड़ में शहीद वीर जवानों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुये गृहमंत्री भारत शासन नई दिल्ली द्वारा शहीद जवानों के परिजनों के नाम संदेश प्रेषित किया गया है। आज पुलिस आफिसर्स मेस में शहीदों के सम्मान में सभा का आयोजन कर शहीद जवानों को श्रद्धांजली अर्पित कर, गृहमंत्री भारत शासन द्वारा प्रेषित संदेश को बीजापुर पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप द्वारा शहीद के परिजनों को सम्मान पूर्वक भेंट किया गया।

नक्सली हमले में शहीद जवान के परिजन से मिले बस्तर सांसद

बीजापुर (आरएनएस)। बस्तर सांसद दीपक बैज जिले के रानी बोदली केम्प पर वर्ष 2007 में हुए नक्सली हमले में शहीद जवान के परिजन सरोजनी साहू से मुलाकात करते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया तथा पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दिलवाले का वादा कर आगे भी भविष्य में हर संभव मदद की बात कही है। इस दौरान बस्तर सांसद के साथ विधायक विक्रम मंडावी भी मौजूद है।

ग्राहकों को कैफे में परोस रहे थे अवैध शराब संचालक व मैनेजर गिरफ्तार, आबकारी एक्ट का मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। कैफे में अवैध रुप से शराब पिलाने व बेचने की सूचना पर पुलिस ने छापामारकर 6 बॉटल अंग्रेजी शराब तथा 6 बॉटल बीयर जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार तेलीबांधा पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर 30 जून को रात 10.40 बजे एफआईपीएफ कैफे फुण्डहर में अवैध रुप से ग्राहकों को शराब परोसने की सूचना मिलने छापामारकर घेराबंदी कर संचालक व मैनेजर को घेराबंदी कर रेड किया जो अपने कैफे मे अवैध रूप से शराब तथा बियर को बेचकर पिला रहा था। जिसे नाम पता पूछने पर वह अपना नाम तारीक खान पिता मोहम्मद सईद खान उम्र 39 वर्ष निवासी रिद्धि सिद्धि कालोनी म.नं.- 06, अवंति विहार थाना तेलीबांधा रायपुर का बताया। पुलिस को देखकर कैफे मे शराब सेवन करने वाले लडके भाग गये। आरोपी तारीक खान के कब्जे से चिवास रिगल 02 बाटल, सुला बुट 01 बाटल, अबस्लुट वोडका 01 बाटल, दो बाटल चिवास रिगल शीशी में100-100 एमएल विदेशी मदिरा, बटवाईजर मैग्नम 04 बाटल तथा बटवाईजर प्रीमियम किंग आफ बियर 02 बाटल कुल 7.100 बल्क लीटर कीमती कुल 15120/- रूपये को जब्त कर गवाहो के समक्ष सील बंद कर पुलिस कब्जा में लिया गया। कैफे संचालक एवं मैनेजर के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34/2 के तहत कार्रवाई की हिरासत में लिया गया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी गांवों के सपनों को साकार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है छत्तीसगढ़-मुख्यमंत्री भूपेश

» मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पशुओं के रोका-छेका अभियान का वर्चुअल शुभारंभ

» गौठानों के प्रबंधन के लिए 24.41 करोड़ रूपए की सहायता देने की घोषणा

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी गांवों के सपनों को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के तहत गौठानों में संचालित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन, बाडियों में सब्जियों के उत्पादन सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों से महिलाएं और ग्रामवासियों को रोजगार के साथ आमदनी का जरिया मिला है और वे स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में खरीफ फसल को खुले पशुओं की चराई से बचने के लिए रोका-छेका अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांवों में बैठक कर रोका-छेका अभियान के लिए चरवाहों को पशुओं को एक जगह रोकने और उन्हें गौठान मे एकत्र करने की जिम्मेदारी दी जाए। सभी गांवों में एक साथ रोका-छेका किया जाए, जिससे फसलों को नुकसान नहीं हो।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गौठानों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गौठानों को 24 करोड़ 41 लाख 50 हजार रूपए की सहायता देने की घोषणा की। इस राशि में से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 5820 सक्रिय गौठानों के संधारण के लिए 40 हजार रूपए प्रति गौठान के मान से कुल 23 करोड़ 28 लाख रूपए की सहायता देने तथा प्रदेश के 1135 स्वावलंबी गौठानों को 10 हजार रूपए प्रति गौठान के मान से एक करोड़ 13 लाख 50 हजार रूपए की राशि देने की घोषणा की। प्रदेश के स्वावलंबी गौठान वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट के उत्पादन तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों से होने वाली आय से स्वयं गोबर खरीदकर वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्वावलंबी गौठानों की समिति और ग्रामवासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों से चर्चा कर उनके कार्यो की सराहना करते हुए उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखण्ड के अमलीडीहा गौठान समिति के प्रतिनिधियों, सरपंचों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर गौठानों की गतिविधियों की जानकारी ली।

इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.एम.गीता, कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ.भारतीदासन और कृषि विभाग के संचालक यशवंत कुमार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि फसलों को खुले में चरने वाले पशुओं से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए रोका-छेका अभियान बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज से पूरे प्रदेश में एक साथ रोका-छेका अभियान का संचालन कर पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए छोड़ने के बजाय उन्हें गौठानों में भेजें, जहां चारे-पानी का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, फसलों की बुआई और थरहा लगाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। पिछले वर्ष रोका-छेका अभियान के अच्छे परिणाम सामने आए। रोपाई का काम समय से पूरा हुआ और पशुओं से फसलों को बचाने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष रिकार्ड 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस उपलब्धि में राज्य शासन की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित किसान हितैषी योजनाओं के साथ-साथ रोका-छेका अभियान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक शुभ संकेत है कि छत्तीसगढ़ में खेती के प्रति लोगों का रूझान बढ़ रहा है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस अवसर पर ग्रामीणों से वर्चुअल चर्चा करते हुए कहा कि वे राज्य सरकार की योजनाओं का अच्छा प्रचार-प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक किसान योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने अमलडीहा के ग्रामीणों से चर्चा कर कृषि कार्यों व फसल उत्पादन के बारे में जानकारी ली।

❒ **650 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का हुआ उत्पादन-** ग्राम पंचायत अमलडीहा के ईश्वर पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि रोका-छेका के लिए गांव के किसान व पशु पालकों से चर्चा की गई। सभी ने अपने-अपने मवेशियों को गोठान में भेजने की सहमति जताई है। पटेल ने बताया कि मवेशियों के लिए गोठान में हरा चारा, पैरा व पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। पांच एकड़ में गौठान का निर्माण कराया गया है, जहां अभी तक 650 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया। सभी वर्मी कंपोस्ट का विक्रय सोसायटी के माध्यम से किया गया है। इसी तरह गोठान में सुपर कंपोस्ट भी बनाया गया है। पटेल ने बताया कि उनके पास स्वयं की पांच एकड़ भूमि है, जिसमें से वे तीन एकड़ में पौधरोपण करने का निर्णय लिए हैं। गोठान समिति के अध्यक्ष अंतरयामी चौधरी ने बताया कि गोठान में ग्राम पंयायत अंतर्गत 119 पशुपालक पंजीकृत हैं। करीब 300 मवेशी गोठान में आते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 3 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी गोठान समिति द्वारा की गई थी इसमें 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया। गोठान में अब तक 650 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर सोसायटी के माध्यम से विक्रय किया गया है। उन्होंने बताया कि गोठान समिति के सदस्यों द्वारा सब्जी उगाने के साथ, अगरबत्ती व गोबर के दिए बनाने सहित अन्य कार्य कर आय प्राप्त कर स्वावलंबी बन रहे हैं। इसी तरह महिला स्व-सहायता समूह की दिलेश्वरी पटेल ने बताया कि खाद की बिक्री से उनके समूह को 60 हजार रुपए और स्वयं को 8 हजार रुपए मिले हैं। आय के रुपए से उन्होंने कपड़ा सिलाई का काम शुरू किया है। इसी तरह महिला स्व-सहायता के सदस्यों द्वारा आलू, उड़द, मूंगफली और सब्जी उगाकर भी अतिरिक्त लाभ कमाया जा रहा है। सहेली महिला स्व-सहायता समूह की वेदकुमारी पटेल ने बताया कि विभिन्न उत्पादन से अब तक समूह को 35 हजार रुपए का फायदा हुआ है। शासन की योजना के तहत उन्हें मवेशी खरीदने के लिए 15 हजार का अनुदान दिया गया था। इससे पटेल ने 50 हजार रुपए का गाय खरीदा है, जो हर रोज 20 से 25 लीटर दूध देती है। इससे उसे हर महीने 15 हजार रुपए की आमदनी होती है।

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, कलेक्टर भीम सिंह, जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल, कृषि विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

प्रदेश में फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए करें पहल - गृह मंत्री

» सायबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए सायबर थानों को करें मजबूत

» पुलिस स्कूल की तरह पुलिस हॉस्पिटल भी होना चाहिए

रायपुर (आरएनएस)। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज सिविल लाईन स्थित अपने निवास में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्री ने प्रदेश में फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए पहल करने तथा सायबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए सायबर थानों को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह विभाग के आधिपत्य वाली शासकीय अनुपयोगी खाली भूमि पर आवासीय सह कमर्शियल कॉपलेक्स बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्कूल की तरह पुलिस हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, ताकि पुलिस परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। गृह मंत्री ने विभागीय जांच प्रकरणों और सीआईडी के प्रकरणों का त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

मंत्री साहू ने कहा कि गांवों में कोटवारों की भूमिका काफी उपयोगी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कोटवारों की ड्यूटी पहले की तरह थानों में लगनी चाहिए, ताकि कोटवारों के जरिए गांव की ताजा जानकारी थानों को मिलती रहें। उन्होंने पुलिस जवानों को जंगलवार प्रशिक्षण देने, नगर सेना के जवानों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उनका मानदेय बढ़ाने, आपदा प्रबंधन के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की खरीदी करने तथा नक्सल पुनर्वास योजना को और अधिक कारगार बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने के निर्देश दिए। गृह मंत्री साहू ने चिटफंड प्रकरणों के निराकरण और जेलों में निरूद्ध आदिवासियों की रिहाई के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 187 अनियमित चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 427 प्रकरण पंजीबद्ध है, इनमें से 265 प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है। अब तक चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर 9 करोड़ 32 लाख रूपए की वसूली की गई है तथा 17 हजार 322 निवेशकों को 7 करोड़ 86 लाख रूपए वापस किए गए है। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा एवं आर.के. विज, सचिव उमेश अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक जेल संजय पिल्ले, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होमगार्ड अरूण देव गौतम सहित गृह विभाग के विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्लांट में हड़ताल पर बैठे मजदूर संगठन पर पुलिस ने चलाई लाठियां, 30 घायल

भिलाई (आरएनएस)। लोकतांत्रिक समाजवादीपार्टी के छ्ग प्रदेश के अध्यक्ष साथी अशोक पंडा ने अभी समाचार दिया कि भिलाई स्टील प्लांट के मजदूर संगठन आज हड़ताल पर थे। शांति पूर्ण ढग से प्लांट के बाहर धरना दे रहे थे। शाम को जब उनके नेता जिनमे साथी एच एस मिश्रा और कुछ अन्य मजदूर नेता शामिल थे तो पुलिस ने उन पर भीषण लाठी चार्ज किया। कई लोगों को चोटें आई। तथा लगभग तीस लोगों को गिरफ्तार किया। शांतिपूर्ण और निहत्थे अहिन्सक लोगों पर लाठी चार्ज घोर निंदनीय है और सत्ता की बौखलाहट निरन्कुश तानाशाही का द्योतकहै। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मांग करती है कि- 1 लाठीचार्ज के दोषी अधिकारी और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो तथा उन्हें निलम्बित कर गिरफ्तार किया जाय। 2 सभी गिरफ्तार मजदूर साथियों को बिनाशर्त रिहा किया जाय।

कल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की छ्ग इकाई राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर यह मांग करेगी। पार्टी श्रमिकों के साथ है और उनके हर संघर्ष में सहभागी है। रघु ठाकुर ने उक्त कार्यवाही की निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

करोड़ो रूपये की ठगी करने वाला पीएसीएल चिटफण्ड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर सुखदेव सिंह गिरफ्तार

» कचहरी चौक स्थित कृष्णा काम्पलेक्स में पीएसीएल लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी का करता था संचालन

» मामले में अब तक 15000 पीड़ितों को किया गया है सूचीबद्ध

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में हजारों लोगों से करोड़ों रूपयों की ठगी करने वाले पीएसीएल लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी के फरार मैनेजिंग डायरेक्टर सुखदेव सिंह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सुखदेव सिंह पिता रघुवीर सिंह 62 साल निवासी ग्राम पोस्ट झलियन कालन जिला रोपर पंजाब ने राजधानी रायपुर के कृष्णा काम्पलेक्स स्थित पीएसीएल लिमिटेड चिटफंड के नाम से कंपनी खोल रखा था। आरोपी सुखदेव इस कंपनी में अन्य डायरेक्टरों के साथ मिलकर लुभावनी स्कीम का झांसा देकर प्रदेश के कई जिलों के हजारों लोगों को पैसा जमा करा लिया और रकम की परिपवक्ता तिथि पूर्ण होने पर आरोपियान पीड़ितों को रकम वापस न कर कंपनी को बंद कर फरार हो गये। आरोपी सुखदेव सिंह सन् 2016 से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस थी। इसी बीच इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुखदेव सिंह के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि वह सी.बी.आई. के मामले में पंजाब के रूपनगर जेल में निरूद्ध है। जिसके बाद थाना मौदहापारा पुलिस की टीम पंजाब के रूपनगर पहुंची और प्रोडक्शन वारंट में आरोपी सुखदेव सिंह को रायपुर लेकर आयी। ज्ञात हो कि पीएसीएल चिटफण्ड कंपनी में 15000 से अधिक लोगों द्वारा करोड़ों रूपये निवेश किया गया है। पुलिस टीम द्वारा कंपनी के नाम पर रायपुर, बस्तर, महासमुंद, रायगढ़ सहित राजनांदगांव में 600 एकड़ भूमि को चिन्हांकित किया गया है, जिसे कुर्की करने की प्रक्रिया जारी है। आरोपी सुखदेव सिंह के विरूद्ध रायपुर सहित महासमुंद, बस्तर, कोरिया एवं बेमेतरा में भी ठगी के मामले दर्ज है। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी शकुन्ले एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल विचारों पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

उच्च रक्तचाप व मोटापा से पीड़ित गर्भवती को कोविड संक्रमण का खतरा अधिक

» स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गर्भवती के टीकाकरण को महत्वपूर्ण बताया

» गर्भवती कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार का करें पालन

रायपुर (आरएनएस)। कोविड संक्रमण का खतरा गर्भवती महिलाओं को भी है. इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'काउंसलिंग प्रेग्नेंट वीमेन फॉर कोविड 19 वैक्सीन' गाइडबुक जारी किया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी है। इस गाइड बुक को विशेष रूप से फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा वैक्सीनेटर के लिए तैयार किया गया है जिसकी मदद से वे गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण से संबंधित सही सलाह देकर टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करने में उनकी मदद कर सकते हैं।

गर्भवती महिलाओं को भी कोविड संक्रमण का खतराः

मंत्रालय ने गाइड बुक के जरिये बताया है कि गर्भवती महिलाओं को भी कोविड संक्रमण का खतरा

है। अधिकतर गर्भवती महिलाओं में एसिम्टोमेटिक या हल्के लक्षण दिख सकते हैंढ्ढ हल्के लक्षणों के बावजूद संक्रमण से उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है जो गर्भस्थ शिशु की सेहत पर असर डाल सकता है। गर्भवती महिलाओं को कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए उनके टीकाकरण की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाएं अथवा उनके परिजन कोविड टीकाकरण के संबंध में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैंढ्ढ

❒ **सिम्टोमेटिक गर्भवती महिलाओं को मौत का खतराः-** गाइड बुक में कहा गया है कि हालांकि अधिकांश संक्रमित गर्भवती महिलाएं बिना किसी अस्पताल में भर्ती हुए ठीक हुई हैं, लेकिन कुछ गर्भवती महिलाओं में गंभीर मामले भी देखने को मिले हैं। सिम्टोमेटिक गर्भवती महिलाओं को मौत का खतरा भी होता है। इसलिए उन्हें अन्य मरीजों की तरह ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराये जाने की जरूरत होती है। साथ ही वैसी गर्भवती महिलाएं जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक उम्र हो, मोटापा, उच्च रक्तचाप व डायबिटीज से पीड़ित हों उन्हें संक्रमण का जोखिम व उससे जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कोविड संक्रमित गर्भवती महिलाओं से जन्में 95 फीसदी शिशु स्वस्थ्य रहे हैं।